FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0056 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/02/2026 17:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 25/02/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 09:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/02/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/02/2026 17:19:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 04 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** AAROPI KA KIRAYE KA MAKAN, KAYASTPARA,DHAULPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SANJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURESH CHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHAGIRATHPURA, SADAR DHOLPUR, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAGIRATHPURA, SADAR DHOLPUR, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIRENDRA KUMAR SHARMA		पिता:MURARILAL SHARMA	1. KIRAYA KA MAKAN,KAYASTPARA,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 23.02.2026 को समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द जाति गौड़ (बढई) उम्र 38 साल निवासी भागीरथपुरा पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस ज्ञानचन्द को इस आशय की पेश कि कीः- मेरे पिताजी श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री शिवचरन ने दिनांक 06.01.2026 को छिददूराम से खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 244,249,476 व खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 245 मे से रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज में पटवार हल्का बसई सामन्ता का पटवारी श्री वीरेन्द्र कुमार ने मुझसे 50,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। मै वीरेन्द्र कुमार पटवारी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं मैं उसे रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं।परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि मेरी पटवारी श्री वीरेन्द्र कुमार से कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई रूपयो का लेन-देन शेष है। परिवादी ने उक्त रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिखित होना बताया तथा अवगत कराया कि मेरे पिताजी सुरेश चन्द घरेलू काम में व्यस्त रहते है एवं उनका सारा कार्य में ही करता हूं। दिनांक 06.01.2026 को उक्त जमीन के रजिस्ट्री के पश्चात मैने नामान्तरण बाबत हल्का पटवारी वीरेन्द्र कुमार से सम्पर्क किया तो उसने इस कार्य के लिए मेरे से पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। हमारी क्रय शुदा जमीन का नामान्तरण पटवारी वीरेन्द्र कुमार की आई.डी से ऑनलाईन दर्ज होने के पश्चात ही नामान्तरण प्रक्रिया हो सकेगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना तय किया गया। परिवादी ने अवगत कराया कि आज मेरे आवश्यक कार्य है, इसलिए सत्यापन संबंधी कार्यवाही के लिए कल दिनांक 24.02.2026 को उपस्थित हो जाऊगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 24.02.2026 को परिवादी श्री संजय कुमार उपस्थित चैकी आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी पटवारी वीरेन्द्र कुमार ने मेरे पिताजी के नाम क्रय शुदा जमीन के नामान्तरण दर्ज करने की एवज में रिश्वत की बातचीत करने के लिए मुझे उसके किराये के कमरे कायस्तपाडा बुलाया है, जिस पर कार्यालय में पदस्थापित श्री योगेश सिह कानि. 88 का परिचय परिवादी से करवाया गया तथा कार्यालय से सरकारी सोनी कम्पनी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय सेनडिस्क कम्पनी का 32 जीबी मैमोरी कार्ड के निकलवाकर परिवादी को बन्द व चालू करने की विधि समझाई गई तथा श्री योगेश सिह कानि. 88 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि उक्त वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द कर बाद रिश्वत मांग सत्यापन वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय में लाकर पेश करे। वॉईस रिकॉर्डर का सुचारू रूप से सही कार्य करना एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही होना सुनिश्चित किया गया है। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी श्री संजय कुमार व श्री योगेश सिह कानि. 88 को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु निर्देश देकर अलग-अलग मोटरसाईकिल से आरोपी के किराये के कमरे कायस्तपाडा रवाना किया गया। तत्पश्चात रवाना शुदा परिवादी श्री संजय कुमार मय श्री योगेश सिह कानि. 88 के वापस चौकी आया तथा परिवादी की मौजूदगी में श्री योगेश सिह कानि. 88 ने विभागीय सोनी कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकार्डर मेरे समक्ष पेश किया। परिवादी ने बताया कि मै व श्री योगेश सिह कानि. 88 कार्यालय से रवाना होकर आरोपी के किराये के मकान कायस्त पाडा धौलपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री योगेश सिह कानि. ने मुझे अपना परिचय बोलकर विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया जिसे मै लेकर आरोपी के कमरे पर पहूंचा जहां पर आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार पटवारी मौजूद मिला। जिनसे मैने मेरे पिताजी के नाम क्रय शुदा जमीन के नामान्तरण दर्ज करने के लिए संबंध में वार्ता की तो पटवारी जी ने हमारी क्रय शुदा जमीन का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में मेरे से पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, मेरे द्वारा पटवारी जी से रिश्वत राशि कम का निवेदन पर भी वह पचास हजार रूपये से कम रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत नही हुआ। तथा रिश्वत राशि एवं जमीन की रजिस्ट्री की मूल प्रति लेकर मुझे कल दिनांक 25.02.2026 को बुलाया है। उक्त वार्ता वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद मै पटवारी जी के कमरे से रवाना होकर योगेश सिह कानि.88 के पास पहुंचा तथा योगेश सिह कानि. को वॉईस रिकार्डर सुपुर्द किया जिसे उनके द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा इसके बाद हम वहां से रवाना होकर कार्यालय एसीबी चौकी धौलपुर आ गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने वाईस

रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें उक्त वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। श्री योगेश सिह कानि. से पूछताछ करने पर उसने परिवादी के कथनो की पुष्टि की। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार पटवारी द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम क्रय शुदा भूमि के नामान्तरण दर्ज करने की एवज में पचास हजार रिश्वत की मांग करना पाया गया। अतः टे॰प कार्यवाही प्रस्तावित की गई। परिवादी को कार्यालय में मुकीम रहने की हिदायत दी गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,,धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर रवाना किया गया जिस पर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 मय स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक व श्री विशाल सहायक कर्मचारी को बतौर गवाह लेकर कार्यालय उपस्थित आया। कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री धीरज पुत्र स्व. श्री रामेश्वर जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी बिरजापाडा पुराना शहर पुलिस थाना कोतवाली जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर । मो.नं.- व दूसरे ने अपना नाम श्री विशाल पुत्र स्व. श्री सियाराम जाति निषाद उम्र 25 साल निवासी वार्ड नम्बर 25 आगरा बस स्टैण्ड के पास, राजाखेडा धौलपुर हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर। मो.नं.- होना बताया, जिनसे गोपनीय टे॰प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी लिखित सहमति पेश की, तत्पश्चात् दोनों गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री संजय कुमार से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 23.02.2026 दिखाया जाकर पढवाया गया। तो दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये। तत्पष्चात् परिवादी से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहा तो उसने अवगत कराया कि अभी मेरे पास पचास हजार रूपये की व्यवस्था नहीं है मैं कल दिनांक 25.02.2026 को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित हो जाऊगा। इस पर परिवादी एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 25.02.2026 को प्रातः उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया। इसके बाद दिनांक 25.02.2026 को परिवादी श्री संजय कुमार उपस्थित कार्यालय आया तथा इसी दौरान पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक व श्री विशाल सहायक कर्मचारी उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पॉच-पॉच सौ रूपये के 100 ((सौ) नोट कुल पचास हजार रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। पेश किये गये नोटो का विवरण निम्न प्रकार अंकित हैः-01.एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 BK 159398, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 HH 697418 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 HB 292931, 04. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 FS 529263, 05. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 DC 733709, 06 एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 HK 727525 07. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 GM 381950, 08. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 CQ 500010, 09. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 UW 112559, 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 KK 929992, 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 KM 873007, 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 DB 142380, 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 FK 377101, 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 DU 908806, 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 DQ 617759 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 VM 895284, 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 FK 507358, 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 FE 299582 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 AB 045768 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 KK 709673, 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 EU 576693, 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 WH 611259 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 DL 843343, 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 UW 971669, 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 AW 103122, 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 SN 676905, 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 NV 670077, 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 KE 177979, 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 ES 772723, 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 NL 305612, 31. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 AP 118088, 32. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 KA 905717, 33. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 KG 985862, 34. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 NM 803282, 35. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 AB 077814, 36. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 HE 508467, 37. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 PC 698991, 38. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 SW 864940, 39. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 CH 517822, 40. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 UN 757240, 41. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 KN 346892, 42. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 MQ 257866, 43. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 GC 454011, 44. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 FB 514892, 45. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 FB 586612, 46. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 CE 428631, 47. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 GH 021096, 48. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 SD 277780, 49. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 FM 014397, 50. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 GC 513908, 51.एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 FB 586614, 52. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 CM 958259, 53. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 LU 640116, 54. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 ET 595171, 55. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 PE 973712, 56. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 AM 197098, 57. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 PE

104048, 58. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 TE 755586, 59. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 WA 233908, 60. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 AK 542098, 61.एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 MM 313534, 62. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 LF 275676, 63. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 RH 154131, 64. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 RR 914663, 65. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 TL 236975, 66. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 MA 514884, 67. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 NV 531854, 68. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 AP 944176, 69. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 UB 742291, 70. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 AE 484483, 71. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 PC 162673, 72. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 EH 544400, 73. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 KT 135571, 74. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 GB 640478, 75.एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 PM 727440, 76. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 TB 289985, 77. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 PF 758965, 78. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 MH 530635, 79. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 NU 072102, 80. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 DQ 804772, 81. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 RL 625782, 82. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 NB 093660, 83. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 NV 496333, 84. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 DQ 800079, 85. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 KM 294078, 86. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 FC 738286, 87. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 HE 129249, 88. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 BD 686693 89. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 SR 448321, 90. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 FR 560131, 91. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 RC 308556, 92. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 LN 549803, 93. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 BD 509762, 94. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 QN 603925, 95. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 CN 199690, 96. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 MQ 953878, 97. एक नोट पाच सौ रूपये का 3 GU 868947, 98. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 QE 754478, 99. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 KS 568026, 100 एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 FQ 174028, । पेश शुदा नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों पर अंकित नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री संजय कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री धीरज कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पष्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/- (पचास हजार) रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि0 67 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री विशाल सहायक कर्मचारी से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त टे्रप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्रप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय सोनी कम्पनी का डिजिटल वॉइस रिकार्डर में सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी का सत्यापन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया गया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। समय 07.30 ए.एम पर कार्यवाही की फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी श्री संजय कुमार व श्री योगेश सिह कानि0 88 को निजी मोटर साईकिल व श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72,श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को दूसरी निजी मोटरसाईकिल से टे्रप कार्यवाही हेतु आरोपी के किराये के कमरे कायस्तपाडा धौलपुर रवाना किया तथा उनके पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक, श्री विशाल सहायक कर्मचारी, मय श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 के निजी कार से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर, की-बोर्ड, माउस, मय

विडियों कैमरा मय अन्य डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड व टे्प कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली साम्रगी के ट्रेप बॉक्स के कायस्तपाडा धौलपुर रवाना होकर आरोपी के आवास के पास अम्बेडकर छात्रावास के पास पहूंचा जहां पर परिवादी संजय कुमार उपस्थित मिला जिसे टे्प कार्यवाही के क्रम में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी के किराये के कमरे पर रवाना किया व हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे अथवा संभव नही होने पर टे्प टीम के पास आकर सूचित करे। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के ईशारे/सूचना के इन्तजार में आसपास मुकीम रहा। तत्पश्चात् समय 09.00 ए.एम पर परिवादी श्री संजय कुमार ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने के संबंध में मौखिक रूप से सूचित किया। उक्त सूचना के बाद परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त एवं बन्द कर सुरक्षित रखा। इसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक, श्री विशाल सहायक कर्मचारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के रवाना होकर आरोपी के कमरे पर पहुंचा। परिवादी श्री संजय कुमार ने कमरे के अन्दर कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हुये एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही वीरेंद्र कुमार शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता है जिन्होने मुझसे रिश्वत के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राषि 50,000/- रूपये, अपने दोनो हाथों से लेकर कमरे की खिड़की में रख दिये हैं, इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सामने कुर्सी पर बैठे एवं खाना खाते हुये व्यक्ति से अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने स्वंय का नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा उम्र 48 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ए-4 मूर्तिनगर,, सिरसी रोड पच्छयावाला जयपुर पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल किराये का मकान, मकान मालिक अजय सिह कायस्तपाडा धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर का होना बताया। कार्यवाही की प्रक्रिया में श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी से परिवादी से प्राप्त शुदा रिश्वत राशि 50,000/-रूपये के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैनें कोई रिश्वत राशि नही ली है तथा बताया कि संजय कुमार ने खिड़की में रखे है, जिस पर पास में खंडे परिवादी संजय कुमार से पूछा तो उसने बताया कि पटवारी जी ने मेरे पिताजी श्री सुरेश चन्द ने जमीन क्रय करके रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज मे पटवारी श्री वीरेंद्र कुमार द्वारा मुझसे 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में पेश की थी, जिस पर गोपनीय सत्यापन करवाया गया था, गोपनीय सत्यापन के दौरान पटवारी ने मुझसे 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी, और मेरे काफी निवेदन करने के पश्चात् भी पटवारी जी 50 हजार रूपये से कम लेने पर सहमत नही हुये एवं रजिस्ट्री की प्रति एवं रिश्वत राशि लेकर आज अपने इसी किराये के मकान पर बुलाया था। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसार आज दिनांक 25.02.2026 को श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, पटवारी को मैने रिश्वत राशि 50 हजार रूपये एवं रजिस्ट्री की मूल प्रति दी थी, पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर स्वंय के हाथों से कमरे की खिड़की पर रखी एवं रजिस्ट्री की प्रति कमरे में रखी टेबिल पर रखी थी। इसके बाद मैने बाहर आकर आपको सूचित कर दिया। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित आरोपी वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी से पुनः रिश्वत राशि प्राप्ति के संबंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया मैने परिवादी से कोई रि रिश्वत राशि नही ली है, संजय कुमार ने अपनी मर्जी से दिये है जो मैने अपने हाथों से लेकर कमरे की खिड़की पर रख दिये है तथा रजिस्ट्री की मूल प्रति मेरी टेबिल पर रखी हुई है। संजय कुमार के जाने के बाद मैने हाथ धोकर खाना-खाना शुरू किया था। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति की स्वीकारोक्ति के पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर आरोपी के किराये कमरे में पानी के कैम्पर मे से साफ पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर एक गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की पृथक-पृथक साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर एवं चिट चस्पा करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की अलग-अलग साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर एवं चिट चस्पा करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। आरोपी के बताये अनुसार कमरे की खिड़की पर रखी रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री धीरज कनिष्ठ सहायक से गिनवाया तो पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 100 नोट कुल राशि 50,000/- रूपये होना पाया गया। नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट से कराया गया तो उक्त नोट वही नोट होना पाये गये जो परिवादी द्वारा फर्द पेशकशी नोट में पेश किये गये थे। इस प्रकार उक्त बरामद शुदा सभी नोट रिश्वत राशि के होने पर सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत

कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी वीरेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी द्वारा कमरे की खिड़की पर रखी हुई रिश्वत राशि बरामदगी स्थान का गीले रूई के फोहा से रंगडकर धोवन लिया जाकर टे्प बॉक्स मे से एक डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसे अच्छी तरह साफ कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में गीले रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी को दो कांच की अलग-अलग शीशीयों में भरकर सील मोहर एवं चिट चस्पा करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क R-1 व R-2 अंकित किया गया एवं बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर एवं विवरण अंकित कर मार्क R अंकित किया, जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। टे्प कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार किया जाना तय किया गया। मौके पर आरोपी के कमरे की टेबिल पर परिवादी के पिता श्री सुरेश चन्द गौड के नाम कृषि भूमि खाता संख्या 141,86 ग्राम भागीरथपुरा पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर की दिनांक 06.01.2026 को रजिस्ट्री की मूल प्रति मिली जिसे बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लेकर अवलोकन किया गया, उक्त मूल प्रति परिवादी श्री संजय कुमार को नामान्तरण संबंधी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुपुर्द की गई एवं मूल प्रति से छायाप्रति करवाकर संबंधित के हस्ताक्षर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी विभागीय विडियो कैमरा के जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 के कराई गई जिसकी फर्द विडियो ग्राफी पृथक से तैयार किया जाना तय किया गया। आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ए-4 मूर्तिनगर, सिरसी रोड पञ्चयावाला जयपुर पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल किराये का मकान, मकान मालिक अजय सिह कायस्तपाडा धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री संजय कुमार से उसके पिताजी श्री सुरेश चन्द के नाम दिनांक 06.01.2026 को भूमि बिक्रेता छिदद्रूराम से खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 244,249,476 व अन्य में से रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर क्रय शुदा भूमि के नामान्तरण दर्ज करने की एवज में परिवादी से 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। जिसके संबंध में आरोपी को कारित अपराध से जरिये नोटिस अवगत कराया जाकर डिटेन गया। कार्यवाही की फर्द जप्ती व बरामदगी रिश्वत राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.02.2026 एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 25.02.2026 की रिकॉर्ड वार्ताओं को जरिये कम्प्यूटर व स्पीकर चलाकर सुनवाया गया तथा आवाज नमूना देने हेतु लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसी नोटिस पर लिखित में प्रतिउत्तर पेश किया कि मै मेरी आवाज का नमूना अभी देना नहीं चाहता हूं, प्राप्त नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। टे्प कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री संजय कुमार से उसके पिता के नाम क्रय शुदा भूमि के नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचर निवारण अधिनियम 1988 (यथा सशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को कारित अपराध के संबंध में जरिये नोटिस पृथक से सूचित किया गया। नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद कार्यवाही की प्रक्रिया में परिवादी श्री संजय कुमार की निशानदेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष टे्प कार्यवाही एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नक्षा मौका की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा उम्र 48 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ए-4 मूर्तिनगर, सिरसी रोड पञ्चयावाला जयपुर पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल किराये का मकान, मकान मालिक अजय सिह कायस्तपाडा धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों एवं कारित अपराध से अवगत कराते हुये धारा 7 भ्रष्टाचर निवारण अधिनियम 1988 (यथा सशोधित 2018) के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मौके की कार्यवाही के पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्तवंत्र गवाहान मय परिवादी मय गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी मय जप्तशुदा आर्टिकल मय सील्ड शुदा रिश्वत राशि के वाहनो से रवाना होकर वापस कार्यालय आया। आरोपी को जाप्ता की निगरानी में रखा गया। टे्प कार्यवाही में धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मय जप्त शुदा रिश्वत राशि एवं आर्टिकल व टे्प बॉक्स आदि को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर बाद इन्द्राज जमा मालखाना करवाया गया एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजय कुमार एवं आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के मध्य दिनांक 24.02.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त

वार्ता में मौजूद आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो वार्ता परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी की होना पहचान किया जाने पर वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासंक्रिप्ट मेरे निर्देषन में श्री योगेश सिह कानि. 88 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। तथा कार्यवाही की प्रक्रिया में स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजय कुमार एवं आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के मध्य दिनांक 25.02.2026 को हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ता में मौजूद आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो वार्ता परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी की होना पहचान किया जाने पर वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासंक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री योगेश सिह कानि. 88 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के समक्ष दिनांक 24.02.2026 को परिवादी श्री संजय कुमार व आरोपी वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर 260224.1657 एवं दिनांक 25.02.2026 को परिवादी श्री संजय कुमार एवं आरोपी वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता फाईल नम्बर 260225.0834 जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड में सेव थी। उक्त वार्ताओं को कार्यालय के सरकारी कम्प्यूटर के माध्यम से 03 ((तीन) पृथक-पृथक पैनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी में श्री योगेश सिह कानि. 88 से प्रतिलिपिकरण करवाया गया। एक पैनड्राईव बजह सबूत न्यायालय के लिए, एक पैनड्राईव आरोपी के लिए पृथक-पृथक कपडे की थैली में सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये व एक पैनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। उक्त पैनड्राईव पर मार्क P अंकित किया गया तथा जरिये कम्प्यूटर मूल मैमोरी कार्ड की हैष वैल्यू श्री योगेश सिह कानि. 88 से निकलवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । टे्प कार्यवाही में कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उपयोग मे लिये गये मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी को बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर करके मार्क M अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एंव फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड व प्रतिलिपिकरण पैनड्राईव तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी के विरूद्ध परिवादी श्री संजय कुमार से 50 हजार रू रिश्वत मांग कर प्राप्त करने पर टे्प कार्यवाही के दौरान आरोपी के हाथ धुलाई व रिश्वत राशि बरामदगी एवं आरोपी के किराये के कमरे की खानातलाशी की कार्यवाही की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा से करवाई गई थी, विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की दो अलग-अलग पैनड्राईव तैयार कर मार्क P-1 अंकित किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैनड्राईव आरोपी के लिए सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। एक पैनड्राईव आई.ओ प्रति की हैश वैल्यू निकाल कर शामिल पत्रावली की गई। आईओ प्रति पैनड्राईव को अनशील्ड फाईल पर रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए पृथक से कपडे़ की थैली में सील्ड मोहर किया जाकर मार्क M-1 अंकित किया गया। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोंग्राफी व प्रतिलिपिकरण पैनड्राईव तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं संबंधित सील्ड शुदा आर्टिकल जमा मालखाना करवाये गये एवं ट्रेप कार्यवाही में बतौर वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (49) अंकित था, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री संजय कुमार के पिता श्री सुरेश चन्द ने बिक्रेता छिददूराम से ग्राम भागीरथपुरा पटवार मण्डल बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 244,249,476 व खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 245 क्रय की है, जिसका पंजीयन दिनांक 06.01.2026 को परिवादी के पिता श्री सुरेश चन्द के नाम हुआ है उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज में आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान, द्वारा परिवादी से 50 हजार रिश्वत की मांग की गई। जिसकी शिकायत दिनांक 23.02.2026 को परिवादी श्री संजय कुमार द्वारा लिखित रूप में एसीबी चैकी धौलपुर पर पेश की गई। शिकायत में वर्णित तथ्यों का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के माध्यम से दिनांक 24.02.2026 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी द्वारा परिवादी से पचास हजार रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन उपरान्त दिनांक 25.02.2026 को टे्प कार्यवाही के आयोजन के दौरान आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से पचास हजार रिश्वत राशि मांग कर स्वंय के हाथों से प्राप्त कर स्वंय के कमरे की खिड़की में रखी गई, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी के दोनो हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व खिड़की का स्थान, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई थी का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आरोपी श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा उम्र 48 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ए-4 मूर्तिनगर, सिरसी रोड पञ्चयावाला जयपुर पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल निवास किराये का मकान, कायस्तपाडा धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में पाया गया है। कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) पुलिस उप

अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा, उम्र 48 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी ए-4 मूर्तिनगर, सिरसी रोड पञ्चयावाला जयपुर पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल निवास किराये का मकान, कायस्तपाडा धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 387 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 413-16 दिनांक 27.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- जिला कलक्टर, धौलपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/02/2026 17:21:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)